प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-02.08.2025

थाना व जनपद- चन्दौली

🔷 ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जिला स्तर, ब्लाक स्तर और पंचायत स्तर पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार.

🔹 गिरोह द्वारा नियुक्ति के नाम पर 5,45,000/-₹ भी वसूले गये, फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट, पहचान पत्र भी किया गया जारी

🔹 गिरफ्तार अभियुक्तों से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, सम्बंधित विभाग का सामान व 73000/-₹ नकदी बरामद.

पुलिस कार्यवाही-

चंदौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेकर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन में व देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चन्दौली मझवार रेलवे स्टेशन के पास से मु0अ0स0-191/2025 अन्तर्गत धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना व जिला चन्दौली से सम्बन्धित 04 अभियुक्त-

1-अभियुक्त अशोक सम्राट पुत्र संज्जन सिहं निवासी आरकेटावर बैरिया रोड संजयपुल वार्ड न0 06 थाना भगवानपुर जिला मुज्जफरपुर बिहार वर्तमान ओखला फेज 1 साऊथ बिहार दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे के बैग से-

- एक लैपटाप एचपी कम्पनी का मय चार्जर डाटाकेबल ब्लूटूथ
- पाँच मोबाईल
- नगद 53000/- रुपये
- 11 कूटरचित आईडीकार्ड
- दो कूटरचित मुहर गृह मंत्रालय भारत सरकार अन्य 02 मुहर बरामद।

2-अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र अनोखे लाल निवासी ग्राम फ्लैट नम्बर 101 सिल्वर हाईट आपार्टमेण्ट विजय खण्ड थाना गोमती नगर लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ट्राली बैग से-

- 02 मोबाईल
- 08 सम्बन्धित विभाग का भरा हुआ फार्म,
- 53 सादा प्रमाण पत्र,
- 17 पेज की सम्बन्धित विभाग से सम्बन्धी बुकलेट
- कुल 20,000/- ₹ नकद,

- 20 अलग-अलग नेम प्लेट
- दूसरे ट्राली बैग से 11 जोडी खाखी वर्दी

3-अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिहं निवासी ग्राम मझौली थाना पटियाली जिला कासगंज उत्तर प्रदेश उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बरामद बैग से-

- 25 सादा प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग व स्टीकर,
- 01 मोबाईल,
- 01 पैंट 01 शर्ट बरामद हुआ।

4-अभियुक्त आनन्द चौहान पुत्र बृजेश सिह निवासी लेवडेया थाना पटियाली जिला कासगंज उ0प्र0 उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से बरामद पिण्ठू पैग से-

- 01 टैबलेट,
- 100 सम्बन्धित विभाग का स्टीकर

व कुछ अन्य सामान

पूछताछ विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त आशोक सम्राट सहित सभी से सामूहिक रुप से बताया कि हमलोग की कही नौकरी नही लग रही थी तो यू-ट्यूब से जानकारी एकत्रित कर एक ग्रुप बनाया जिससे पैसा कमाया जा सके।
फिर हम लोगो ने फर्जी तरीके के जरीये नौकरी दिलाने को लेकर ठगी करने की योजना बनायी उसी योजना के अनुसार अन्य सामान खरीदे। हम चारो लोग चन्दौली व चन्दौली के आसपास के युवको को नौकरी दिलाने के नाम पर अनेक योजना बताकर बेरोजगार युवको को नौकरी दिलाने की बात बतायी कि अगर आपकी नियुक्त जिले के स्तर पर होगी तो उसमे आप को 25 हजार रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी उसके लिये आप को 2.5 लाख रुपये देना होगा अगर आपकी नियुक्त ब्लाक स्तर पर होगी तो उसके लिये 01 लाख रुपये देना होगा आपकी सैलरी 15 हजार प्रति माह होगी का प्रलोभन देकर कूटरचित मोहर, आईडी कार्ड, नियुक्त पत्र, परिचय पत्र, पम्पलेट व सम्बन्धित विभाग का समस्त सामान देकर पैसा हमलोग ज्यादातर आनलाईन भिन्न भिन्न खाते मे लिये है तथा कुछ नगद भी लिये है जिस पैसे को आपलोगो ने हमलोगो से बरामद किया गया है वह पैसा बरोजगार बच्चो का ही है।

पूर्व की घटना-
थानाक्षेत्र चन्दौली पर वादी चन्द्रभान मौर्या पुत्र विजयी प्रसाद ग्राम व पोस्ट सोगाई थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 02.07.2025 को महेश ग्राम फत्तेहपुर कला थाना चन्दौली जनपद चन्दौली द्वारा अरविन्द वाटिका चन्दौली मे नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में बुलाया गया।
जिसपर वादी के साथ इनके सहयोगी नवीन कुमार यादव पुत्र सुदर्शन यादव एवं अभय मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या को उपरोक्त वाटिका में बताया गया कि जिला स्तर, ब्लाक स्तर और पंचायत स्तर पर नौकरी दिलाई जाएगी। जिसके लिए क्रमशः 15000, 60000, 45000 रूपये की मांग की गई।
जिसके बदले ड्यूटी करने के लिए ड्रेस, ID CARD दिया जाएगा।

जिसके मुख्य (डायरेक्टर)-

1-अशोक सम्राट पुत्र सज्जन सिह आरके टावर बैरिया रोड संजयपुर वार्ड नं0 6 थाना भगवानपुर जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) वर्तमान पता ओखला फेस 1 साउथ बिहार दिल्ली।
2- संजीव कुमार पुत्र अनोखे लाल पता फ्लैट नं0 101 सिल्वर हाइट अपाटमेन्ट विजयखण्ड थाना गोमती नगर लखनऊ।
3- आशीष कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिह पता मझौला थाना पट्टियाली जिला कासगंज।
4- आनन्द चौहान पुत्र वृजेश सिह पता ल्यौडेया थाना पटियाली जिला कासगंज हैं।

- इस नियुक्ति के लिए उपरोक्त लोगो द्वारा पैसा मांगा गया जिसपर वादी के सहयोगी नवीन यादव पुत्र सुदर्शन यादव ने संजीव कुमार पुत्र अनोखे लाल को 45000 रुपये UPI के माध्यम से भुगतान किया।

- डायरेक्टर और इनके सहयोगी द्वारा फर्जी वेबसाइट बताया गया। जिसमें दिए गए नम्बर पर फोन करने पर वादी और उनके सहयोगियों को कानपुर होटल मे बुलाया गया। कानपुर पहुंचने पर विपक्षी संजीव कुमार द्वारा ट्रेनिग के लिये कानपुर देहात एक लॉन मे ले जाया गया। वहा पर वादी का भाई अभय मौर्या पुत्र राजा राम मौर्या द्वारा 7000/-₹ विपक्षी संजीव कुमार के UPI किया गया तो उसको भी ट्रेनिग के लिये उसी लॉन में ले गये।

- ट्रेनिग के बाद वादी व अन्य पीडित व्यक्तियों ट्रेनिग सर्टिफिकेट लेकर गाँव आ गये और बाकी लोगो से इस बारे मे बताया तो सभी लोग ज्वाइन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गये।

- इसके बदले विपक्षी संजीव कुमार ने एक पुलिस मित्र का फार्म दिया और बोला सबसे पैसे लेकर फार्म भरवाकर हमको भेज दो। संजीव कुमार के कहने पर हम सभी ने अपनी ज्वाइनिंग के लिये भर्ती कराने वाले गिरोह के विभिन्न सहयोगी पर क्रमश:-
दिनांक 07.07.2025 को 9000/- ₹
दिनांक 16.07.2025 को 20000/- ₹
दिनांक 10.07.2025 को 20000/- ₹
दिनांक 13.07.2025 को 19000/- ₹
दिनांक 31.07.2025 को 50000/- ₹ भेजा गया।
लिया इसके बदले में विपक्षी अशोक सम्राट ने फर्जी ID CARD,फर्जी ज्वाइनिंग लेटर पर साइन करवाया और बोला जिले में ज्वाइनिंग करायेगे।

- इसी प्रकार वादी के सहयोगी अभय मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या से
दिनांक 07.07.2025 को 7000/- ₹
दिनांक 11.07.2025 को 23000/-₹
दिनांक 21.07.2025 को 10000/- ₹
दिनांक 12.07.2025 को 20000/- ₹
दिनांक 15.07.2025 को विकाश यादव द्वारा 20000/- ₹ भेजा गया।

दिनांक 20.07.2025 को नवीन यादव पुत्र सुदर्शन यादव द्वारा 20000/- ₹
दिनांक 29.072025 को 45000/-₹
दिनांक 30.07.2025 को 20000/- ₹
दिनांक 30.07.2025 को 20000/- ₹
दिनांक 31.07.2025 को 30000/- ₹ कैश दिया गया।
दिनांक 30.07.2025 को 10000/- ₹
दिनांक 31.07.2025 को 40000/-₹ कैश सम्राट को दिया गया.
प्रवीण कुमार मौर्या पुत्र संजय कुशवाहा को द्वारा दिनांक 31.07.2025 को 30000/-₹ दिया गया।
अभिनव कुमार सिह पुत्र चन्द्रिका सिह ग्राम सवैया पट्टीदारी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को 70000/-₹ सम्राट को कैश दिया गया.

अभियुक्त का विवरण-
1-अशोक सम्राट पुत्र सज्जन सिह आरके टावर बैरिया रोड संजयपुर वार्ड नं0 6 थाना भगवानपुर जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) वर्तमान पता ओखला फेस 1 साउथ बिहार दिल्ली
2- संजीव कुमार पुत्र अनोखे लाल पता फ्लैट नं0 101 सिल्वर हाइट अपाटमेन्ट विजयखण्ड थाना गोमती नगर लखनऊ
3- आशीष कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिह पता मझौला थाना पट्टियाली जिला काशगंज
4- आनन्द चौहान पुत्र वृजेश सिह पता ल्यौडेया थाना पटियाली जिला काशगंज द्वारा सभी लोगों को पुलिस मित्र की नौकरी का झांसा देकर फर्जी तरीके से कुटरचित पहचान पत्र व वर्दी टोपी सीटी डोरी जुता आदि सामग्री दिया गया।
वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 191/2025 अन्तर्गत धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना व जिला चन्दौली के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-
- 11 कूटरचित आईडीकार्ड
- दो कूटरचित मुहर गृह मंत्रालय भारत सरकार 02 अन्य मुहर
- एक लैपटाप,
- एक टेबलेट
- 08 मोबाईल फोन
- 08 पीस काला जूता
- 10 जोडी टीशर्ट सम्बन्धित विभाग का
- 07 पीस नेम प्लेट 20 पीस
- 73000/- रुपये नगद।

गिरफ्तारी व बरामदगी में करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली।

वरिष्ट उ0नि0 शिवपूजन बिन्द कोतवाली चन्दौली।

उ0नि0 रावेन्द्र सिह कोतवाली चन्दौली।

उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य कोतवाली चन्दौली।

उ0नि0 रामसुजान यादव कोतवाली चन्दौली।

चालक हे0का शिवचन्द्र सरोज कोतवाली चन्दौली।

हे0का संजीत साह कोतवाली चन्दौली।

का0 नीलकमल यादव कोतवाली चन्दौली।

पीआरडी रामआधार कोतवाली चन्दौली।